## उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4, लखनपुर पोस्ट बाक्स न0 1050 कानपुर — 208024 दूरभाष :2582851—53(PBX) फेक्स :(0512)2580797 वेबसाइट :www.upsidc.com ई.मेल:feedback@upsidc.com.

संदर्भ संख्या 667—/एसआईडीसी/ आईए/ Rel. Web. 17

दिनांकः

14-6-17

## -- कार्यालय आदेश:--

निदेशक मण्डल की दिनांक 29.5.2017 को सम्पन्न हुयी 295वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आदेशित किया जाता है सभी प्रकृति के भूखण्डों के सापेक्ष आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि में रूपया 100/— तक की कमी की दशा में डिफाल्टर वर्ग से आवंटी को हटाने की सीमा रूपया 100/— से बढाकर प्रश्नगत देयों की कुल धनराशि के 1 प्रतिशत तक अथवा रूपया 10000/— की अधिकतम सीमा तक कर दी जाए। अतः सभी प्रकृति के आवंटियों द्वारा उपरोक्त सीमा तक देयों की कम धनराशि जमा करने पर भी उन्हे डिफाल्टर नहीं माना जाएगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिये निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों / परियोजना अधिकारियों को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

> (रणवीर **प्र**साद) प्रबन्ध निदेशक

संख्या ६६२ – ६२० एसआईडीसी–आईए– १८८. ८४८. १२ दि० १५-२-१२-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

- 1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
- 3. श्री विनोद कुमार, प्रबन्धक, कम्पूयटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4. समस्त अधिकारी / कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र0रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद) प्रबन्ध निदेशक